तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **अपील/एल.आर./6891/2002/बीकानेर** **हरी राम बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16-10-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति-** श्री एस0पी0 सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी श्री आर0पी0 शर्मा, राज0 उप अधिवक्ता **निर्णय** हस्तगत अपील धारा 76, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम, 1956) के अन्तर्गत अति0 आयुक्त, उप निवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा दिनांक 10-09-2002 को प्रकरण संख्या 68/2002 शीर्षक हरिराम बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस अपील पर सुनी गई। अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि पटवारी हल्का द्वारा आराजी खसरा नम्बर 83/35, 83/43, कुल रकबा 34-09 बीघा पर अपीलार्थी द्वारा सम्वत् 2058 में अतिचार करने की रिपोर्ट तहसीलदार, कोलायत-3 के समक्ष प्रस्तुत की, जिसके आधार पर प्रार्थी को सुनवाई किये बिना ही उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत-3 ने निर्णय दिनांक 31-10-2001 से बेदखली, शास्ति व 03 माह की सिविल कारावास की सजा के आदेश अविधिक रुप से बिना नोटिस की प्रौपर तामील कराये व सुनवाई का मौका दिये पारित किए हैं और उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर अति0 आयुक्त, उप निवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा निर्णय दिनांक 10-09-2002 से अपील को खारिज किया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया है कि प्रश्नगत आराजी पूर्व में गणपत राम पुत्र जैसाराम को आवंटित की गई आराजी रही है और अपीलार्थी उक्त भूमि पर मात्र मजदूरी पर काश्तकर्ता रहा है, अतः अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 22 के तहत कार्यवाही किया जाना नियमों के विरुद्ध रहा है। गणपत राम पुत्र जैसाराम को प्रकरण में पक्षकार के रुप में दर्ज किया जाना आवश्यक था जो कि नहीं बनाया गया है। अपीलार्थी	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **<u>अपील/एल.आर./6891/2002/बीकानेर</u>** **<u>हरी राम बनाम सरकार</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का अतिचार बताते हुये गलत प्रकार से सिविल कारावास के आदेश पारित किये हैं। जब उक्त भूमि राजकीय भूमि नहीं हो कर निजी व्यक्ति की भूमि रही है तो धारा 22 के तहत प्रकरण नहीं बनता है। योग्य अधिवक्ता ने अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों को नियमों के विपरीत बताते हुये, अपील स्वीकार कर अपीलाधीन दोनों निर्णयों को निरस्त करने का निवेदन किया। राजकीय पक्ष के योग्य उप राजकीय अधिवक्ता का कथन रहा है कि अपीलार्थी का राजकीय भूमि पर अतिचार है और इस प्रकार की स्थिति में अपीलार्थी किसी प्रकार से सहानुभूति का पात्र नहीं है। प्रश्नगत भूमि गणपत राम पुत्र जैसाराम को आवंटित होने के उपरान्त आवंटन को खारिज कर दिया गया था और उसके बाद आराजी राजकीय भूमि अंकित हो गई थी। अतः राजकीय भूमि पर अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिचार होने से धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम, 1954 के तहत की गई कार्यवाही उचित कार्यवाही है। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णय समवर्ती होने से अपील खारिज की जाए। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस अपील पर सुनी गई। प्रकरण में सुस्पष्ट है कि आराजी खसरा नम्बर 83/35, 83/43, कुल रकबा 34-09 बीघा पर अपीलार्थी द्वारा सम्वत् 2058 में अतिचार करने की रिपोर्ट के आधार पर उप निवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के तहत कार्यवाही की गई है। उपनिवेशन तहसीलदार, कोलायत-3 ने निर्णय दिनांक 31-10-2001 में अंकित किया है कि फसल खरीफ सम्वत् 2057 में दर्ज व निर्णित प्रकरण संख्या 62/2000 के निर्णय दिनांक 20-10-2000 की अनुपालना में रिपोर्ट दिनांक 8-12-2001 जो दिनांक 1-1-2001 को तहसील में प्रस्तुत की है से स्पष्ट है कि गै0सा0 फसल खरीफ सम्वत् 2058 में इस भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने भी अपने निर्णय में स्पष्ट अंकित किया है कि तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि आवंटित रही है और बाद में किश्तों के अभाव में खारिज हुई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पक्ष में प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विधिक टाइटल नहीं है और प्रश्नगत भूमि पर	

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज** **<u>अपील/एल.आर./6891/2002/बीकानेर</u>** **<u>हरी राम बनाम सरकार</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपीलार्थी की काश्त अनाधिकृत काश्त के रुप में ही मानी जाएगी। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों ने प्रकरण में विधिक रुप से तथ्यात्मक निर्णय पारित किये हैं और इन समवर्ती निर्णयों में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षपे किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः अपील सारहीन होने से **खारिज** की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	